एचए मालबारी (मृत) द्वारा कानूनी प्रतिनिधिगण

बनाम

नसीरुद्दीन पीरमहोमद और अन्य

सितंबर 30, 1997

[एस.बी. मजमुदार और एम.जगन्नाथ राव, जे.जे.]

प्रेसीडेंसी लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1882 : धारा 41

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 : धारा306

भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 :धारा 59.

अनुज्ञप्ति - कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान अनुज्ञप्तिधारी मृत्यु - प्रभाव - संपत्ति अधिकारों की वसूली के लिए 1882 के अधिनियम की धारा 41 के तहत कार्यवाही शुरू करना - कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु - उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कार्यवाही व्यक्तिगत वाद हेतुक से संबंधित नहीं थी - अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के साथ कार्यवाही का शमन नहीं होता है - अनुज्ञप्तिधारी के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील - उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है

- एक बार अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाने के बाद, वापस लेने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी के लिए जीवित रहता है और जो कोई भी अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के बाद संपत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है अनुज्ञाप्तिदाता के दावे का जवाब देने के लिए उत्तरदायी होगा - इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुज्ञप्तिधारी के खिलाफ ऐसा वाद हेतुक व्यक्तिगत है और उसके साथ मर जाता है।

चिन्मन बनाम रंजीतम्मल, एआईआर (1931) मद्रास 216, अयोग्य निर्धारित।

एम. रंगनाथम पिल्लई बनाम टी. गोविंदराजुलु नायडू, (1950) 2 एम. एल. जे. 280, अस्वीकृत।

हिरेंद्र भूषण बनाम पूर्णचंद्र, (1943) 52 सी. डब्ल्यू. एन. 843 और श्रीमती सकिनबाई बनाम सेलभाई हसनाली, ए. आई. आर. (1967) बॉम्बे 9, स्वीकृत।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 17918/1997

सी. आर. ए. संख्या 1231/ 1992 में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 16.7.97 से।

यशांक अध्यारू और संजय कपूर, याचिकाकर्ताओं की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद हम विवादित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क से सहमत हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अध्यारू ने जोरदार ढंग से तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लंबित के दौरान कथित अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु पर कार्यवाहियां शमन हो गई। उस उद्देश्य के लिए उन्होंने चीनन बनाम रंजीतम्मल, ए. आई. आर. (1931) मद्रास 216 में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड बेंच के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया। उक्त निर्णय में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह विचार रखा है कि सुखाचार अधिनियम की धारा 59 के तहत दी गयी अनुज्ञप्ति संपत्ति के साथ संलग्न नहीं है, यह हस्तांतरणीय या वंशानुगत नहीं है और एक बार जब अनुज्ञप्तिधारी संपत्ति के साथ भाग लेता है या अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है, तो अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाती है। कड़ाई से कहें तो इस निर्णय का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई लाभ नहीं हो सकता है क्योंकि कथित अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु प्रेसीडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट, 1882 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 41 के तहत कार्यवाही लंबित रहने तक हो गई है। हालाँकि, उन्होंने एम. रंगनाथम पिल्लई बनाम टी. गोविंदराजुलु नायडू, डी (1950) 2 एम. एल. जे. 280

के मामले में एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए मद्रास उच्च न्यायालय के बाद के फैसले से बेहतर पोषण की मांग की। उक्त निर्णय, निश्चित रूप से, अधिनियम की धारा 41 के तहत कार्यवाही के संदर्भ में दिया गया है। उक्त निर्णय में उच्च न्यायालय मद्रास के विद्वान न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किया है कि एक बार अधिनियम की धारा 41 के तहत अनुज्ञाप्तिदाता द्वारा कथित अनुज्ञप्तिधारी के खिलाफ संक्षिप्त कार्यवाही शुरू की जाती है और यदि अनुज्ञप्तिधारी की कार्यवाही लंबित रहने तक मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है और कार्यवाही समाप्त हो जाती है। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विद्वान न्यायाधीश ने हीनेंद्र भूषण बनाम पुरनचंद्र, (1948) 52 सी. डब्ल्यू. एन. 843 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के विपरीत दृष्टिकोण से असहमति जताई है। हमारे विचार में, विद्वान न्यायाधीश का उक्त निर्णय, सम्मान के साथ, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 306 के प्रावधान के विपरीत है जो व्यक्तिगत प्रकृति की कार्रवाई के केवल सीमित कारणों से संबंधित है जो व्यक्ति के साथ मर जाते हैं। जब कोई अनुज्ञाप्तिदाता कथित अनुज्ञप्तिधारी से संक्षिप्त तरीके से कब्जा मांगता है, तो वह अचल संपत्ति की संपत्ति की बहाली चाहता है, जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लाइसेंस की मुद्रा के दौरान उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। एक बार अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाने के बाद,

प्रत्यावर्तन का अधिकार स्पष्ट रूप से अनुज्ञप्तिधारी के लिए जीवित रहता है और जो कोई भी जी अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के बाद संपत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है, वह स्पष्ट रूप से अनुज्ञप्तिधारी के दावे का जवाब देने के लिए उत्तरदायी होगा और इन कार्यवाही में यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह की कार्रवाई का कारण अनुज्ञप्तिधारी के खिलाफ व्यक्तिगत है और उसके साथ मृत हो जाता है।

इसलिए, हमारे विचार में, मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय को अधिनियम की योजना पर कायम नहीं रखा जा सकता है और इसके विपरीत, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में प्रस्तावित दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण है। इसी प्रश्न की जाँच बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने श्रीमती सकिनबाई बनाम सेलभाई हसनाली, ए. आई. आर. (1967) बॉम्बे 9 के मामले में अपने निर्णय में की थी। खंड पीठ की ओर से के. के. देसाई, जे. ने कहाः

> "प्रेसीडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट की धारा 41 के तहत निष्कासन की कार्यवाही संपत्ति के अधिकारों को लागू करने और संपत्तियों की वसूली के लिए है। ये कार्रवाई के व्यक्तिगत कारणों से संबंधित कार्यवाही नहीं हैं और वे कार्यवाही के किसी पक्ष की मृत्यु के साथ नहीं मरते हैं, चाहे वह एक आवेदक हो या विरोधी।“

उच्च न्यायालय ने इस संबंध में भी भारत उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 306 की स्पष्ट भाषा पर मजबूत निर्भरता रखी। इसे ध्यान में रखते हुए, बंबई उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय धारा 41 के परिवेश और दायरे का सही विश्लेषण करता है।नतीजतन, गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है, जो हमारे सामने विवादित है, जब उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में लिए गए विचार के समान विचार लिया था।

नतीजतन, यह विशेष अनुमति याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और इसे अस्वीकार किया जाना है। हालाँकि, ऐसा करने से पहले, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के एक अनुरोध पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता बहुत गरीब व्यक्ति हैं, वे परिसर में रह रहे हैं क्योंकि उनके कमाने वाले की लंबे समय से मृत्यु हो गई थी और उन्हें रखरखाव के लिए बहुत कम राशि भी मिल रही थी। इसलिए, उनके अनुसार, यदि प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं के साथ कुछ सहमत समझौते में प्रवेश करने के लिए इच्छुक हैं तो यह याचिकाकर्ताओं की पीड़ा को कम करेगा। इसलिए, इस अनुरोध पर, एक सौहार्दपूर्ण समझौते की संभावना का पता लगाने के लिए उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

नोटिस को छह सप्ताह के बाद वापसी का जारी किया जाता है। अगले आदेश तक बेदखल करने के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी।

जी टी एन ए।

याचिका खारिज की गई।

<u>अस्वीकरण</u> - यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है । इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।